

कार्यालय वनमंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल भानुप्रतापपुर

जिला–उत्तर बस्तर कांकेर

C E-mail: dfoeast_bpur@rediffmail.com

07850-252223 Fax- 07850-252223

भानुप्रतापपुर, दिनांक-5/8/19

क्रमांक / मा.चि. / 2019 / 4915 प्रति,

> मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर,

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for the Approach Road from mines to Public Road covers an area of 0.95 ha. and the Power Line covers an area 1.62 ha. The Forest land is required for approach road and drawing overead Power Line to our Mines, total area – 2.58 ha. regarding.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/Approach/32947/2018

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / न.क्र.78 / 2019 / 4622 कांकेर दिनांक 26 / 07 / 2019

----000----

- कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा प्रस्तुत FRA का प्रदर्श 'स' अपलोड कर दिया गया है।
- 2. ले– आऊट प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र का KML File अपलोड कर दिया गया है।
- 3. प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी. पी. एस. सर्वे रिर्पोट तथा KML File अपलोड किया गया है।
- 4. वन मंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण रिर्पोट पार्ट II अपलोड कर दिया गया है।
- 5. प्रस्तावित क्षेत्र के घनत्व में सुधार कर दिया गया है।
- 6. पार्ट II में अद्योहस्ताक्षरकर्ता का नाम अंकित किया गया है।
- 7. डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट 5 प्रतियों में संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

प्रस्ताव / KML File

पू.क. / मा.चि. / 2019 / 4916 प्रतिलिपि :--

वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर भानुप्रतापपुर, दिनांक <u>5/8/19</u>

श्री बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड ग्राम बोरझारा उरला गुमा रोड़ रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

> वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर

Page no-92 "

PART -II

(To be filled by the concerned Depury Conservator of Forests) State serial No. of proposal <u>FP/CG/Approach/32947/2018</u>

7	Locatio	on of the project/scheme:	Approach Road And Power Line
	(i)	State/Union Territory	Chhattisgarh
	(ii)	District	Uttar Bastar Kanker
	(iii)	Forest Division	East Bhanupratappur
	(iv)	Area of forestland proposed for diversion (in ha.)	2.58
	(v)	Legal Status of forest	Applied area is R.F/P.F.
	(vi)	Density of vagetation.	0.6
aw line	(vii)	Species-wise (scientific names) and diameter class-wise enumeration of trees (to be enclosed. In case of irrigation/hydel projects enumeration at FRL, FRL-2 meter & FRI-4 meters also to be enclosed.)	
	(viii)	Brief note on vulnerability of the forest area to erosion.	No
	(ix)	Approximate distance of proposed site for diversion from boundary of forest.	-*
	(x)	Whether forms part of National Park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, etc. (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed.)	No
	(xi)	Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area-if so details thereof.	No
	(xii)	Whether any protected archaeological/ heritage site/ defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required.	No
8	Whethe	r the requirement of forestland as proposed	
	by the and ba recomm alternat	iser agency in col.2 of Part-I is unavoidable rest minimum for the project. If no, entded area item-wise with details of ves examined.	
9	Whether any work in violation of the Act has been No carried out (Yes/No). If yes, details of the same including period of work done, action taken on erring officials. Whether work in violation is still in progress.		No
10	Details of compensatory afforestation scheme:		
		Details of non forest area/ degraded forest area identified for compensatory afforestation, its distance from adjoining forest, number of patches, size of each patch.	-
	(ii)	Map showing non-forest/degraded forest area identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries	-

	(iii)	Detailed compensatory afforestation scheme including species to be planded, implementing agency, time schedule, cost structure etc.		
	(iv)	Total financial outlay for compensatory afforestation scheme.		
	(v)	Certificates from competent authority regarding suitability of area identified for compensatory afforestation and from management point of view, (to be signed by the concerned Deputy Conservator of Forests)		
	Site inspection report of the DCF (to be enclosed) especially highlighting facts asked in col. 7 (xi,xii), 8 and 9 above.		-	
12	Division/District profile:		East Bhanupratappur Forest Division Circle Kanker	
	(i)	Geographical area of the district.	6633.74	
	(ii)	Forest area of the district	3358.370 km2	
	(iii)	Total forest area diverted since 1980 with number of cases.	Total Cases - 13, Area = 1361.640	
	(iv)	Total compensatory afforestation stipulated in the district/division since 1980 on		
		(a) Forestland including penal compensatory afforestation.	-	
		(b) Non-forest land	-	
	(v)	Progress of compensatory afforestation as on (date) on		
		(a) forestland	-	
		(b) Non-forest land	-	
1		nce or otherwise of the proposal with	Recommended under the condition that company will abide by the rules of F.C.A. 1980 & condition imposed by the state Govt. from time to time.	

Date :- 06105-12019 Place :- Durge Kondd -

R.C. DUGGA Divisional Forest Officer East Bhanupratappur Division Bhanupratappur

CHECKLIST

ग्राम राभा हारखदरी. की देउक दिनाक ... 28/01/2019 का कार्यवाही विवरण

हाराजदरी दिनांक 18:12-2-19 नेत्रारी माला मेडिर 5 गण आज दिनांक 28/01/2019को प्राग होहाखप्दी के सार्वाम ग्री/भीनती जेल्हात रथान संदरयप्रतिशत उपस्थित थे। दैठक में निम्न विवयों पर चर्चा की गई:--

1. ग्राम टाहाखरदी...में आवेदक मेन्स्री सप्रदेश पावर एउ दायल कि कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु ...२०२६....हे. वन भूमि ...हे. राजस्व वन नूमि. कुल ...२.२६...हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग 2. वागद गाम समा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

इस यन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकाहों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के निवन एवं प्रापधानों पर चर्चा की गयी। जो दन भूमि लाह आयाद सति 3. पर्यो हे लिए पहुंच अर्थ एव इले किर् कार्य के व्यपनर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत रे खिनवासी इस प्रश्नाधान वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यवितगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

निम्न आदिदासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र चितरित किया

÷ mm

- বিমিট

ागः

35.	ग्राम का नाम	यन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1.	हाहाबर्ड		

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि _2.58 ___ है. वन भूमि / तिर्द्ध है.

राजरव वन भूमि, कुल योग 2.58 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु नेसर्स की बजरेंग पाव (स्वयको अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रादधान अनुसार व्यपवर्तित की जादे। (आवेदक)

& Kpat Ltd. ZVALGAICILIUM Shri Bajrang Powe Authorised Signatory सील Director उपरिश्वत सदरय गणः हरताधर / अन्दिः निशान क्रमांक নান वन आधिकार व्यक्ति के सदस्यों के 2-62971

- प्रमाण पत्र:-

मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड लौह अयस्क खनिज पट्टा के लिए पहुंच मार्ग एवं इलेक्ट्रिक मेसस भी के डायवर्सन हेतु कांकेर जिला पूर्व में भानुप्रतापपुर (वन मण्डल के हाहालद्दी गांव के वन मूचि हाईन के लिए भूमि के डायवर्सन हेतु कांकेर जिला पूर्व में भानुप्रतापपुर (वन मण्डल के हाहालद्दी गांव के वन मूचि लईन के लिए भूभ लईन के लिए भूभ बार्यकर्तन हेतु परिक्षेत्र दुर्गूकोंदल आरक्षित वन कक्ष 641, 642 (पुराना 364 व 365) में कुल रकबा 2.58 हेक्टेयर वन बापवर्तन हेतु ग्रावर्सन हेतु ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के जांच प्रतिवेदन एवं ग्राम समा में अलाक्ट्रक व्यपवर्तन हेतु पार्थान हेतु ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के जांच प्रतिवेदन एवं ग्राम समा में अनुमोदन पश्चात बूगि के डायवर्सन हेतु ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के जांच प्रतिवेदन एवं ग्राम समा में अनुमोदन पश्चात बूगि के डायवर्सन हेतु ग्राम समीति के समक्ष प्रस्तुत होने पर वन मुमि के प्रकरण में अनुमचित जव परिवात मूमि के डायवरा एव ग्राम सभा में अनुमोदन परवात मूमि के डायवरा एव ग्राम सभा में अनुमोदन परवात अनुविभाग स्तरीय वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन । अनुविभाग स्तित वन मूमि के प्रकरण में अनु परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूबित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) 1. अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित अधानयन, राज्य माम 2.58 हे. एवं/राजस्व वन भूमि निरंक है जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है. तथा ग्राम हाहालद्दी तहसील दुर्गूकोंदल जिला कांकेर में स्थित है. तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

गाम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 28/01/2019 (प्रदर्श-अ) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श—"ब") पर दर्शित है ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम पंचायत दुर्गूकोंदल ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमति संजू नरेटी की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 28/01/2019 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे. जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है-

		वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
Ð.	ग्राम का नाम		निरंक
1	निरंक	निरंक	

यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 28/01/2019 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 05/02/2019 एवं ग्राम सभा के दिनांक 28/01/2019 के सकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एव अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सविधा विद्यमान नही है ।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

स्थान:-कांकेर दिनाक 06/02/2019

(श्रीमती सन् साहू अध्यक्षतिस्तित्व विस जिला उत्तर बस्तर कांकेर